.भारतीय जनता पार्टी

केन्द्रीय कार्यालय
11, अशोक रोड, नई दिल्ली– 110001
फोन : 23005700 फैक्सः 23005787

दिनांक : 22 जुलाई, 2009

<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

भाजपा अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह द्वारा लोकसभा में भूमि अधिग्रहण एवं कृषि संबंधी विषय पर चर्चा के प्रमुख बिन्दु

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह ने भूमि अधिग्रहण को लेकर किसानों की समस्याओं और आशंकाओं का निवारण करने के लिए केन्द्र सरकार से मांग की है कि भूमि अधिग्रहण संशोधन बिल को संसद के मौजूदा सत्र में ही पारित कराये।

श्री सिंह ने कृषि अनुदान मांगों पर हुई चर्चा के दौरान लोकसभा में कहा कि मौजूदा भूमि अधिग्रहण कानून में विसंगतियों के कारण कृषि योग्य भूमि में तेजी से कमी आ रही है यदि इसी गति से खेती योग्य भूमि घटती रही तो देश में खाद्य संकट खड़ा हो जायेगा।

कृषि मंत्री श्री शरद पवार का इस समस्या की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए **श्री सिंह ने कहा "भूमि अधिग्रहण संशोधन बिल संसद के वर्तमान सत्र में ही पारित किया जाना चाहिए और इस बिल का पूरी तरह समर्थन करने के लिए हम तैयार हैं।"**

गाजियाबाद से सांसद श्री राजनाथ सिंह ने क्षेत्र के किसानों का विशेष रूप से उल्लेख करते हुए कहा कि उनके चुनाव क्षेत्र गाजियाबाद के किसान इस समस्या से काफी प्रभावित हैं और साथ में सारे देश के किसान आज उद्वेलित और आन्दोलित है। "क्या ऐसा नहीं हो सकता कि लैंड ऐक्वीजिशन के संबंध में में एक बार भारत सरकार अपनी तरफ से राज्य सरकारों को एक एडवाइजरी भेज दे कि **जब तक भूमि अधिग्रहण संशोधन बिल (लैंड एक्वीजिशन अमेंडमेंट बिल) भारत की संसद में पारित नहीं होता है तब तक**

किसी भी प्रकार से लैंड एक्वीजिशन न किया जाये। जब तक किसानों की पूरी कंसेट (सहमति) नहीं मिल जाती, तब तक किसान जमीन का अधिग्रहण किसी भी सूरत में नहीं होना चाहिए" श्री सिंह ने कहा।

श्री सिंह के प्रश्न के उत्तर में कृषि मंत्री श्री शरद पवार ने कहा कि मंत्रिमंडल ने उनकी अध्यक्षता में भूमि अधिग्रहण के बारे में एक समिति गठित की थी, जिसने संस्तुति दी है कि जिस भूमि पर एक से ज्यादा फसल पैदा होती है उसका अधिग्रहण नहीं किया जाना चाहिए। इसके लिए मौजूदा कानून में सुधार की आवश्यकता है। लेकिन संसद के मौजूदा सत्र में संशोधन बिल को पारित करने की बात पर उन्होंने गोलमोल उत्तर देते हुए कहा कि मंत्रिमंडल की बैठक में यह मुद्दा रखा गया है जिस पर अंतिम निर्णय कैबिनेट लेगा और इस सम्बन्ध जो भी निर्णय होगा वह सदन के सामने लाया जायेगा।

जैविक खाद (बायो फर्टिलाइजर) और जैविक कृषि (आर्गेनिक फार्मिंग) के प्रति लोगों में बढ़ते हुए विश्व व्यापी आकर्षण की चर्चा करते हुए श्री सिंह ने गाय–बैल के गोबर की कम्पोस्ट खाद के उपयोग को बढ़ाने का मुद्दा भी सदन में उठाया।

इस संदर्भ में **भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि यदि बायो फर्टीलाइजर का सबसे प्रमुख स्रोत गाय और गौवंश है।** और यही बायो फर्टिलाइजर आर्गेनिक फार्मिंग का मुख्य आधार है और आर्गेनिक फार्मिंग भविष्य की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता बन कर उभरती दिख रही है तो क्या इसे ध्यान में रख कर गाय और गौवंश के वध को रोकना आज आवश्यक नहीं दिख**ता। इस आधार पर गौ–हत्या पर रोक लगाने की मांग करते हुए श्री सिंह ने कहा कि गाय और गोवंश की किसी भी सूरत में हत्या नहीं होनी चाहिए और इस सम्बन्ध में सरकार को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करना चाहिए।**

इस बारे में कृषि मंत्री ने बचाव करते हुए कहा कि गौ हत्या का विषय सरकार के सामने नहीं है और किसान जो चीज संभाल नहीं सकता वह बोझ किसान के सिर पर डालना ठीक नहीं। इस पर प्रतिवाद करते हुए श्री सिंह ने कहा कि कोई भी भारत का कोई भी किसान इस बात की इच्छा नहीं करेगा कि चाहे गाय कितनी भी बूढ़ी हो जाये उस गाय की हत्या कर दी जाये।

जवाब में श्री पवार ने इसे स्वीकार करते हुए भी गौ हत्या संबंधी कानून बनाने पर अपनी असहमति व्यक्त की।

श्री राजनाथ सिंह ने किसानों को दी जाने वाली ब्याज सब्सिडी की राशि में छह सौ करोड़ रूपये की कमी के मामले में भी सरकार को घेरते हुए इस कटौती को वापिस लेने की मांग की। प्रत्युत्तर में श्री पवार ने स्वीकार किया कि ब्याज सब्सिडी की राशि अपेक्षा से कम है और इस संदर्भ में उन्होंने सदन को बताया कि ब्याज सब्सिडी को लेकर उनकी चर्चा वित्तमंत्री से हुई है और उन्होंने अतिरिक्त धन की व्यवस्था करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है तथा पूरा आश्वासन दिया है।

श्री राजनाथ सिंह ने चर्चा की शुरूआत करते समय किसानों के लिए एक कृषि टी.वी. चैनल शुरू किये जाने की मांग रखते हुए कहा, "देश में मनोरंजन, न्यूज, फैशन, धर्म, संस्कृति आदि हर प्रकार के चैनल देखने को मिल जायेंगे, लेकिन कृषि से जुड़ा हुआ कोई भी चैनल देखने को कभी नहीं मिलेगा। **इस मांग को स्वीकार करते हुए कृषि मंत्री ने सदन को जानकारी दी कि इस पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन कर दिया गया है, जो एक महीने में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी, जिसके अनुसार कार्रवाई की जायेगी।**

अपने भाषण में श्री सिंह ने कॉपरेटिव बैंक को आयकर में छूट दिए जाने की मांग भी रखी, जिसके संदर्भ में कृषि मंत्री ने कहा कि उनके लिए करों के विषय में ज्यादा कुछ कहना उचित नहीं होगा, परन्तु उन्होंने इस सम्बन्ध में वित्तमंत्री को अवगत करा दिया है।

(श्याम जाजू)
कार्यालय प्रभारी